न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–श्री सुनील कुमार-I,(RAS)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :–91/2024 GCMS No. 2024/197

प्रार्थी :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम जाति कुमावत निवासी दौलतपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

अप्रर्थीगण :–

1. तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन
2. उप तहसीलदार चितावा जिला डीडवाना–कुचामन
3. पटवारी हल्का अड़कसर, तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री भवानी सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

आदेश

दिनांक :– 18/10/2024

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का अड़कसर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत क्षेत्र चितावा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन के खाता संख्या नया 78 व पुराना खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 205 रकबा 2.2500 हैक्टयर किस्म बारानी में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि है तथा प्रार्थी के कब्जे व काश्त में है। राजस्व ग्राम दौलतपुरा में चितावा से सीकर जाने वाली मुख्य सड़क से रास्ता पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, जो खसरा नम्बर 204 में से निकलने के बाद खसरा नम्बर 184 से होकर गुजरता है। राजस्व ग्राम दौलतपुरा के उपरोक्त खसरान् के लट्ठा नक्शे में खसरा नम्बर 205 में रास्ता मौके व नक्शे में अंकित नहीं है तथा उक्त रास्ता 184 में अंकित है वर्तमान में सहवन से रास्ता खसरा नम्बर 205 में लिपिकीय भूमि से अंकित हो गया है, जो काबिल दुरूस्त योग्य है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 205 के उत्तर दिशा में सींव के पास–पास से खसरा नम्बर 184 से होकर पूर्व दिशा की ओर काफी वर्षों से चला आ रहा है तथा वर्तमान में रास्ता खसरा नम्बर 184 में कायम है। उक्त रास्ते का गलत वर्तमान नक्शे में अंकन होने का दिनांक 21.06.2024 को नकल प्राप्त होने के पश्चात् जानकारी हुई है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 205 में अंकित रास्ते को हटाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/[illegible]90 दिनॉक 08.08.2024 को प्रस्तुत की गई। तहसीलदार कुचामन सिटी [illegible] दौलतपुरा के नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 316/204 रकबा 0.[illegible] –2 की तरमीम [illegible]म्बर 205 की पश्चिमी सीमा तक की हुई है जो की सही है क्योंकि खसरा नम्बर 316/20[illegible]रा नम्बर 204 के विभाजन के फलस्वरूप बना हुआ है तथा आगे खसरा नम्बर 184 में डोटेड (कदीमी) रास्ता अंकित है। सेग्रीगेशन के समय नक्शा शीट ऑनलाईन करने के दौरान ऑनलाईन डिजिटाईज्ड नक्शा शीट में खसरा नम्बर 316/204 की तरमीम को 205 की पश्चिमी सीमा से आगे बढ़ाते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 184 व 205 के मध्य से खसरा नम्बर 206 तक कर दिया गया है जो कि नक्शा लट्ठा अनुसार अशुद्ध है जिसको नक्शा लट्ठा अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार नक्शा लठ्ठा में ही खसरा नम्बर 184 में डोटेट (कदीमी) रास्ता अंकित है। इसलिए उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार उपरोक्त नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 205 की उतरी सींव के पास डोटेड लाईन को हटाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:51 IST
Reason: SelfAttested